

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र

डाकघर: केट  
इंदौर : 452 013

संदर्भ सं. 1/13/2021-जीएसी/2610

अप्रैल 20, 2021

परिपत्र

**विषय :- कारोना वायरस को फैलने से रोकने के बचाव उपाय के संबंध में ।**

कृपया उपरोक्त विषय में कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/1981/री.ए.डी.एम/2021 दिनांक 17 अप्रैल 2021 का संदर्भ ले ।


उपरोक्त आदेशानुसार सभी आर आर केट रहवासियों से अनुरोध है कि वे अपने घरों में ही रहे तथा अतिआवश्यक होने पर ही घरों से निकले तथा निम्न सावधानी रखें :-

1. मास्क को नाक तक पहने ।
2. सब्जी, फल, किराना, दूध लेते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे तथा ऐसे समय अनिवार्यतः नाक तक मास्क लगा कर रखे ।
3. सम्पूर्ण परिवार को लेकर एवं सभी को खतरे में डालकर फल, सब्जी, किराना, दूध खरीदने के लिए ना निकले केवल अकेले ही जाए ।
4. घरों में जन्मदिन पार्टी, सोशल पार्टी आदि ना करें क्योंकि आप स्वयं को एवं परिवार को असुरक्षित कर रहे है ।
5. 45 वर्ष अथवा अधिक आयु के लोग तत्काल वेक्सीनेशन करवाए ।
6. प्रतिबंधों से मुक्त कार्य क्षेत्रों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें ।

अतः, आर आर केट कॉलोनी के सभी रहवासियों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि वे उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करे ।

बाकी दिशा-निर्देश उपरोक्त आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2021 के अनुरूप रहेंगे ।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

  
(एस. डी. मीना)  
20/4/2021

प्रशासनिक अधिकारी- III एवं  
संपदा अधिकारी